006.jpg

संख्या– 16 /68–5–2020

प्रेषक

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2020

विषय:– **बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक– महानिदेशक/6067/2019–20, दिनांक 24.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त पॉलिसी की कार्यवाही स्वैच्छिक होगी और इस प्रक्रिया में सरकारी संस्था के उपकम के माध्यम से अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

30/1/20

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव ।